पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति-वरिष्ठ सहायक-2013-14// 3796 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 08 जनवरी // 2021

-::आदेश::-

शासनादेश संख्या-वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)189/10-2014-11-2013 दिनांक 22-09-2014 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 मे दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर श्री नवल किशोर ठाकुर, कनिष्ठ सहायक, सम्भागीय कार्यालय वाराणसी सम्भाग-ए (ज्येष्ठता क्रमांक-1925) को वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1-5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2800) के पद पर दिनांक 06-09-2012 से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

2- "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए इन्हें कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुये उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 21-01-2021 तक कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि उपरोक्त कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक 22-01-2021 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें।

4- संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच / ई0 ओ0 डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो उक्त कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- वर्तमान में यदि उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

11-01-21

2990

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, वाराणसी जोन प्रथम, वाराणसी।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, वाराणसी सम्भाग-ए, वाराणसी।

4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

5- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, वाराणसी।

6- पटल प्रभारी स्था-4(क), स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

7- श्रीमती सुमन सिंह, वरिष्ठ सहायक, चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को श्री ठाकुर की मूल चरित्र पंजिका इस निर्देश के साथ प्रेषित कि चरित्र पंजिका का नियमानुसार अद्यावधिक रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः-उपरोक्तानुसार मूल चरित्र पंजिका।</u>

8- सम्बन्धित कर्मचारी को (नाम से)।

08/01/2021

(पी0एन0यादव),
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।